

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-कबीरधाम

ज्ञापन

क्रमांक एफ-08/01/फटाका/सां.लि./2021/ 5695
प्रति:

कवर्धा, दिनांक 13.09.2021

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, कवर्धा/स.लोहरा/बोड़ला/पण्डरिया
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
कवर्धा/पिपरिया/स.लोहारा/बोड़ला/पाण्डातराई/पण्डरिया

विषय - अस्थायी फटाका लायसेंस हेतु स्थल निर्धारण बाबत।

संदर्भ - छ.ग. शासन, गृह विभाग, सी-अनुभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर की अधिसूचना
पृ.क. एफ 18-50/गृह-सी/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.07.2021

—00—

विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अस्थायी फटाका लायसेंस के आवेदन लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जाना है। आवेदन में साईट मैप और अन्य दस्तावेज संलग्न किया जाना है। अतः आप अपने अधीनस्थ नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत जहां अस्थायी फटाका दुकान खोला जाना है, जिसके संबंध में निर्धारित दुकानों की संख्या व साईट मैप की मूल प्रति विस्फोटक नियम 2008 में उल्लेखित उपबंधों के अधीन 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही इच्छुक आवेदकों को साईट मैप की एक प्रतिलिपि/साफ्टकॉपी उपलब्ध करावें।

टीप - अस्थायी फटाका लायसेंस हेतु अनिवार्य दस्तावेज पासपोर्ट साईज कलर फोटो, आधार कार्ड, निवास का पता हेतु सुसंगत दस्तावेज (यथा बिजली बिल या अन्य दस्तावेज) एवं साईट मैप, कार्यालय पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्ति उपरांत अनुमोदन पर निर्धारित शुल्क

संलग्न - उपर्युक्तानुसार

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला कबीरधाम

कवर्धा, दिनांक 13.09.2021

पृ. क्रमांक एफ-08/01/फटाका/सां.लि./2021/ 5696
प्रतिलिपि-

1. पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कवर्धा/बोड़ला/पण्डरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला कोषालय अधिकारी, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम को kawardha.gov.in में जनसामान्य के सुविधा हेतु निर्देश की प्रति अपलोड करने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. ई-जिला प्रबंधक, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती..... को सूचनार्थ हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला कबीरधाम